न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35 / 2024

परमेश्वरलाल बनाम अंजू देवी आदि

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती।
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री किशोर कुमार जांगिड
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा

:: आदेश ::

दिनांक 19.05.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा इकरारनामा बाबत विक्रय के आधार पर खातेदारी की घोषणा हेतु पेश किया गया है। उपरोक्त दावा पेश करने हेतु वादी को कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है। उपरोक्त दावा कानून विरूद्व पेश किया गया है जो इसी स्तर पर निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत वाद मे वादग्रस्त जमीन से वादी का कोई संबंध सरोकार नही है। इकरारनामा के आधार पर दावा सुनने का माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार नही है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर कथन किया कि:– वादी के दावा का प्रतिवादी ने जबाब दावा पेश किया है जो भी दावा में कमी है उसकी आपात्ति प्रतिवादी ने जबाब दावा के माध्यम से उठाई है उन पर कानूनी विवाधक तनकीयात बनी है वादी ने अपना साक्ष्य सपथ पत्र भी पेश किया है केवल मात्र वादी के दावा को देरी करने के उदेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर साक्ष्य लेखबद्व कर तनकीयात वार निणय गुणावगुण पर करना चाहिए इस स्तर पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मेंटेबल नही है। खारिज होने योग्य है।

अतः वादी की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इकरारनामा के आधार पर वादी की ओर से दावा पेश किया है। इकरारनामा के आधार पर दावा चलने योग्य नही है। सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक प्रर्फोमेंस एक्ट के तहत मुकदमा किया जावे। अतः दावा खारिज किया जावे। जबाब बहस में वकील वादी ने कथन किया कि पत्रावली में तनकीयात कायम कर साक्ष्य के स्तर पर है। वाद का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर मेरिट पर किया जाना है। अतः इस स्तर पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 02 में इकरारनामा के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा है। उक्त ... की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। न्यायालय हाजा के लिए उक्त ... अधिकार के बाहर होने से प्रकरण आदेश 07 नियम 11 सीपीसी से हिट होता ... के ... होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलतः ... प्रार्थी / प्रतिवादी ... पेश अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर ... वाद ... के अभाव में खारिज ... जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय ...19.05.2025 को खुले न्याया... सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:48:35 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़